XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07-10-2011		

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

बासगीत पर्चा वाद सं0– 115/09

मो0 दुलाल, पिता–स्व0 मो0 मुस्लिम, सा0–खोरबाड़ी, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ

–आवेदक

बनाम

मो0 अकबर, पिता–स्व0 रज्जाक, सा0–खोरबाड़ी, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ,

–विपक्षी

आदेश

आवेदक के द्वारा अंचलाधिकारी, कसबा द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0 07/07–08 में दिनांक 16.02.08 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा मटकोपा, थाना नं0–175, खाता नं0–302, खेसरा नं0–1143, रकवा–03 डि0 जमीन पर उसका घर बहुत पहले से बना हुआ है। उपरोक्त जमीन के भूस्वामी मो0 समसाद एवं अन्य है। इसी जमीन पर विपक्षी का भी घर 03 डि0 जमीन में है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक बिना स्थल जाँच किए ही विपक्षी के नाम कुल 06 डि0 जमीन पर्चा निर्गत्त करने की अनुशंसा किया है। अंचल पदाधिकारी कसबा द्वारा बगैर आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर विपक्षी के नाम 06 डि0 जमीन का पर्चा निर्गत्त करने का आदेश पारित किया गया। पर्चा निर्गत करने के पूर्व भूस्वामी को नोटिश नहीं दिया गया। इस प्रकार विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा नियम के विरूद्ध है। आवेदक भूमिहीन है और जिस जमीन पर आवेदक का घर है उस जमीन का भी पर्चा विपक्षी के नाम बनाया गया। जबकि विपक्षी का घर मात्र 03 डि0 में ही है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर स्वयं न्याय करने की कृपा करें।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी का कथन है कि पर्चावाली जमीन पर विपक्षी का घर उनके पिता के समय से ही है। विपक्षी मजदूरी करता है। उसके पिता जमीन मालिक के घर मजदूरी करता था और भूस्वामी ने अपने जमीन में विपक्षी को बसाया था। आवेदक धनी व्यक्ति है और उसका अपना जमीन कमरैली मौजा में था, जिसे वह भूस्वामी से बदला कर लिया है और बदलने वाली जमीन में ही आवेदक का घर भी बना हुआ है। विपक्षी आवेदक के पास भी मजदूरी करता था। तीन–चार वर्षो से से वह उसके पास मजदूरी करना छोड़ दिया है इसी कारण आवेदक विपक्षी को तंग कर रहा है आवेदक एक दबंग व्यक्ति है और अपराधियों का सहयोग भी उसे प्राप्त है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.09.2011 को उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित
1	2	3

के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के द्वारा मात्र 03 डिसमिल जमीन पर दखल–कब्जा है। परन्तु पर्चा 06 डिसमिल के लिये निर्गत कर दिया गया है, जो गलत है। इसे सुधार करने की मांग की गयी है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वे भूमिहीन श्रेणी में है एवं रैयत रहने के कारण 06 डिसमिल जमीन का पर्चा नियमानुसार निर्गत किया गया है। इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक के द्वारा गलत ढ़ंग से प्रासांगिक जमीन में एक मकान बना दिया गया है, जो पर्चावाली जमीन पर पड़ता है। यह कार्य मेरे अनुपस्थिति में किया गया है, इसलिये आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि यह विवाद जमीन पर वास्तविक दखल–कब्जा एवं तत्संबंधी नापी से संबंधित है। इसलिये अंचलाधिकारी, कसबा को इस अभिलेख को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि पर्चाधारी का दखल–कब्जा संबंधी जमीन नापी कराकर आवश्यकतानुसार पर्चा में सुधार करने की कार्रवाई करें। इस निर्णय के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ